प्रस्तावना

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) नौसेना तथा तटरक्षक के लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित है।

इस प्रतिवेदन में वे मामलें उल्लिखित हैं, जो 2015-16 की अवधि में की गई लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आए तथा इसमें वे मामले भी सम्मिलित है जो कि पिछले वर्षों में देखने में आए थे, लेकिन पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे। 2015-16 से बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहां कहीं आवश्यक थे, शामिल किए गए है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुरूप की गई है।